राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 100 / 2020

जगदीश सिंह पुत्र कनक सिंह उम्र 76 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. हरिसिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कमलेश पुत्री भागीरथ सिंह पत्नी जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद जसरापुर तहसील खेतड़ी।
3. सन्तोष पुत्री भागीरथ सिंह पत्नी हेमराज गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी हाल आबाद जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. गणपतराम पुत्र सभदाराम जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. बनारसी देवी पत्नी मूलचनद जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. कपूरचन्द पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. दयाराम पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. छोटी देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी लिक्ष्मण गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद महावा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
10. बिमला देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी गाडराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद तातीजा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
11. शेरा देवी पुत्री मूलचन्द पत्नी भागीरथ गुर्जर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला सीकर, राज0 झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद महावा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
12. गीता कंवर पत्नी सांवर सिंह पुत्री केशरी पत्नी जगन्नाराम जाति रावणा राजपूत निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं [illegible]
13. लाड कंवर पत्नी स्व. मदन सिंह [illegible] निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 [illegible] हरवाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं, राज0
14. उप पंजियक, खेतड़ी।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

:: **निर्णय** :: **दिनांक 20–04–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 के खाता सं. 258 के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है., ख.नं. 325 रकबा 1.65 है., ख.नं. 328 रकबा 0.78 है., ख.नं. 485 रकबा 0.30 है., ख.नं. 667 रकबा 0.22 है., ख.नं. 669 रकबा 0.40 है. व ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.43 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता भागीरथ व प्रतिवादी सं. 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 11 के पिता/पति मूलचन्द का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 12 की माता केशरी देवी पत्नी जगनाराम का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 13 के पति मदन सिंह पुत्र अमान सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता भागीरथ पुत्र समदाराम व प्रतिवादी सं. 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 के पिता/पति मूलचन्द पुत्र समदाराम ने उक्त वर्णित भूमि में से ख.नं. 324 रकबा 0.04 है., ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है. में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2002 को वादी को बेचान कर वादी का मौके पर दखल करवा दिया। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के पिता भागीरथ पुत्र समदाराम व प्रतिवादी सं. 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 11 के पिता/पति मूलचन्द पुत्र समदाराम का बेचान के बाद ख.नं. 324 व 726 में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा। विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2002 का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है। वर्तमान रिकार्ड के आधार पर अगर प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि को दुबारा बेचान दान व रहन करेंगे तो वादी को भारी हकतलफी होगी। इस कारण वादी को प्रतिवादीसं. 1 लगा. 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना आवश्यक हुआ। ग्राम रसूलपुर से नया राजस्व ग्राम ताल नव सृजित होने पर ख.नं. 726 नया राजस्व ग्राम ताल में आ गया व ख.नं. 324 रसूलपुर में ही रहा। मौके पर ग्राम ताल जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 268 के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. सम्पूर्ण पर वादी विक्रय पत्र के दिन से काबिज काश्त है एवं ग्राम रसूलपुर के खाता सं. 88 के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. सम्पूर्ण पर प्रतिवादी सं. 12, 13 काबिज काश्त हैं। वादी को विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2002 के आधार पर ख.नं. 324 ग्राम रसूलपुर व ख.नं. 726 ग्राम ताल में 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकार है एवं बाहमी बंटवारे के अनुसार ग्राम ताल की खातेदारी में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगा. 11 के पिता/पति व प्रतिवादी सं. 12 की माता केशरी देवी पत्नी जगनाराम व प्रतिवादी सं. 13 के पति मदन सिंह पुत्र असमान सिंह समस्त खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी को ग्राम ताल के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. का एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार है एवं ग्राम रसूलपुर के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगा. 11 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं. 12 व प्रतिवादी सं. 13 के पति मदन सिंह पुत्र असमान सिंह के नाम ही खातेदारी दर्ज रहे इस प्रकार से रिकार्ड दुरूस्त करवाने का वादी को कानूनन अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

(क) वाके ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. भूमि का वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 4 व प्रतिवादी सं. 5 से 11 के पति/पिता मूलचन्द पुत्र समदाराम व प्रतिवादी सं. 12 की माता केशरी पत्नी जगनाराम व प्रतिवादी सं. 13 के पति मदन सिंह पुत्र अमान सिंह का नाम हजफ फरमाया जावे तथा ग्राम रसूलपुर के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. में प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1 लगा. 11 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं. 12 व प्रतिवादी सं. 13 के पति मदन सिंह पुत्र असमान सिंह के नाम ही खातेदारी दर्ज की जावे एवं रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

या वादी को वाके ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. में 1/2 हिस्से का व ग्राम रसूलपुर के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त दोनों खसरा नंबर की भूमि से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 11 का नाम हजफ फरमाया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. व ग्राम रसूलपुर के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. का अपने नाम से दर्ज रिकार्ड के आधार पर इसे किसी अन्य को बेचान, दान, रहन आदि नहीं करें तथा विवादित भूमि में वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी से करवायें।

(ग) प्रतिवादी सं. 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि प्रतिवादी सं. 1 लगा. 11 दौराने दावा विवादित भूमि वाके ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर के ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. व ग्राम रसूलपुर के ख.नं. 324 रकबा 0.04 है. भूमि की बाबत किसी प्रकार का विक्रय पत्र, दान पत्र, रहननामा या अन्य हस्तांतरण पत्र का दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु पेश करे तो उसे पंजीयन नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करे व न ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाये।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2056–2059 खाता सं. 258 ग्राम रसूलपुर (प्रदर्श–1), संवत् 2075–2078 खाता सं. 268 ग्राम ताल (प्रदर्श–3), संवत् 2075–2078 खाता सं. 88 ग्राम रसूलपुर (प्रदर्श–4), फोटो प्रति विक्रय पत्र (प्रदर्श–2ए) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र जगदीश सिंह पुत्र कनक सिंह (पी. डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2002 फोटो प्रति (प्रदर्श–2ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता भागीरथ पुत्र समदाराम व प्रतिवादी सं. 4 व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 11 के पिता/पति मूलचन्द पुत्र समदाराम ने वादग्रस्त भूमि में से ख.नं. 324 रकबा 0.04 है., ख.नं. 726 रकबा 0.04 है. कुल [illegible] कुल रकबा 0.08 है. में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा वादी को बेचान कर दिया [illegible] ग्राम रसूलपुर से नया राजस्व ग्राम ताल नव सृजित होने पर ख.नं. 726 [illegible] में आ गया व ख.नं. 324 रसूलपुर में है जो जमाबंदी संवत् 2075–2078 (प्रदर्श–3 व 4) से साबित है। इस प्रकार पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर [illegible] वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः राजस्व ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.04 है. में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 से 11 के पिता मूलचन्द पुत्र समदाराम जाति गुर्जर के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से की भूमि का तथा राजस्व ग्राम रसूलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 324 रकबा 0.04 है. में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम ताल की भूमि खसरा नंबर 726 रकबा 0.04 है. व ग्राम रसूलपुर की भूमि खसरा नंबर 324 रकबा 0.04 है. में वादी के 1/2 हिस्से की भूमि व कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें। ऐसा ना तो स्वयं करें व न ही किसी अन्य से करावें। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:03 IST
Reason: SelfAttested